भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
10 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे
अभिषद कक्ष में आयोजित
सीनेट की विशेष बैठक के कार्यवृत्त

सीनेट की विशेष बैठक दिनांक 10 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे अभिषद कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/ विशेष आमंत्रितों के नाम **परिशिष्ट– 'ए'** में दिए गए हैं। गणपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण बैठक पूर्वाह्न 10:35 बजे स्थगित की गई तथा पूर्वाह्न 10:40 बजे पुनः आरंभ की गई ।

बैठक के आरम्भ में, अध्यक्ष ने शैक्षणिक इकाइयों से संकायाध्यक्ष कार्यालय (शैक्षणिक) द्वारा साझा किए गए शिक्षण प्रतिक्रिया आँकड़ों पर चर्चा करने का अनुरोध किया। शैक्षणिक इकाइयों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे विद्यार्थियों के साथ अधिक संवाद करें, जिससे कक्षा में उनकी सहभागिता बढ़ाने में सहायता मिले। साथ ही, उद्योग के साथ सहभागिता को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया। सदस्यों को यह भी सूचित किया गया कि युवा संकाय सदस्यों के लिए एक अर्धदिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी ।

संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) ने सूचित किया कि बड़े विभागों के समेकित शिक्षण प्रतिक्रिया आँकड़े शीघ्र साझा किए जाएंगे। यह भी सूचित किया गया कि इस वर्ष एम.टेक. में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या 600 से बढ़कर 900 हो गई है। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि आरक्षित रिक्त सीटों को भरने के लिए पीएच.डी. साक्षात्कार का दूसरा चरण चल रहा है ।

मद संख्या 1: स्नातकोत्तर कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार करना (क) एम.एससी. कार्यक्रम टेम्पलेट्स: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित (ख) संयुक्त पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम टेम्पलेट: वी.एल.एफ.एम.

सीनेट ने विभिन्न एम.एससी. कार्यक्रमों तथा संयुक्त पी.जी. डिप्लोमा के कार्यक्रम टेम्पलेट्स पर विचार किया। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत, सीनेट ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

1. रसायन विज्ञान विभाग

i. रसायन विज्ञान में एम.एससी.

सीनेट ने रसायन विज्ञान विभाग से विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का अनुरोध किया । सीनेट की ओर से संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) तथा पी.जी.सी.आई.सी. के परामर्श से कार्यक्रम टेम्पलेट को अनुमोदन प्रदान करने के लिए सीनेट अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया। अंतिम रूप देने से पूर्व कार्यक्रम टेम्पलेट को सदस्यों के बीच परिचालित करने का सुझाव दिया गया ।

2. गणित विभाग

i. गणित में एम.एससी.

कार्यक्रम टेम्पलेट को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। सीनेट ने पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स / पाठ्यक्रम संख्याओं में मामूली परिवर्तनों (यदि हों) को अनुमोदित करने हेतु संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) एवं पी.जी.सी.आई.सी. को प्राधिकृत किया ।

3. **भौतिक विज्ञान विभाग**
   i. **भौतिक विज्ञान में एम.एससी.**

कार्यक्रम टेम्पलेट को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। सीनेट ने पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स / पाठ्यक्रम संख्याओं में मामूली परिवर्तनों (यदि हों) को अनुमोदित करने हेतु संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) एवं पी.जी.सी.आई.सी. को प्राधिकृत किया ।

4. **यांत्रिक इंजीनियरी विभाग**
   i. **विज़नरी लीडरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग में संयुक्त पी.जी. डिप्लोमा**

सीनेट ने समन्वयक, वी.एल.एफ.एम से अनुरोध किया कि वे पाठ्यक्रम की समीक्षा करें तथा विद्यार्थियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए आई.आई.एम. मुंबई के साथ चर्चा करें।

संकल्प सं. 2025/एसपीएल-5/1:	**संकल्प लिया गया कि** गणित में एम.एससी. और भौतिक विज्ञान में एम.एससी. के कार्यक्रम टेम्पलेट्स को नए पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाए ।

मद संख्या 2: (क) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: पाठ्यक्रम संख्या में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रम (ख) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: स्पेशल टॉपिक्स, प्रोजेक्ट ओर नॉन-ग्रेडेड पाठ्यक्रम (ग) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: नए पाठ्यक्रमों पर विचार करना।

सीनेट ने (क) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: पाठ्यक्रम संख्या में परिवर्तन सहित पुराने पाठ्यक्रम (ख) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: स्पेशल टॉपिक्स, प्रोजेक्ट और नॉन-ग्रेडेड पाठ्यक्रम (ग) पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स: नए पाठ्यक्रमों पर विचार किया।

विस्तृत चर्चा के उपरांत, **परिशिष्ट 1** में दिए गए पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया। सीनेट ने, पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स / पाठ्यक्रम संख्याओं में मामूली परिवर्तनों (यदि हों) को अनुमोदित करने हेतु संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) एवं यू.जी.सी.आई.सी./पी.जी.सी.आई.सी. को प्राधिकृत किया। सीनेट ने संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) तथा यू.जी.सी.आई.सी./पी.जी.सी.आई.सी. को किसी भी शेष पाठ्यक्रम को अनुमोदित करने के लिए भी प्राधिकृत किया। हालांकि ऐसे पाठ्यक्रमों को जानकारी हेतु सीनेट सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा।

मद संख्या 3: प्रथम वर्ष के स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर 1, 2025-2026 का प्रस्तावित संशोधित सेमेस्टर कार्यक्रम

सह संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक (पाठ्यक्रम) ने प्रथम वर्ष के स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के सेमेस्टर 1, 2025-26 का संशोधित सेमेस्टर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सीनेट को सूचित किया गया कि कक्षाएँ (24.07.2025 के स्थान पर) 31.07.2025 से प्रारंभ होंगी । यह जानकारी दी गई कि 5 कार्यदिवस पुनः आवंटित किए गए हैं साथ ही यह सुझाव दिया गया कि पुनः आवंटित दिनों में से 02.08.2025 का दिन, परिवर्तित किया जाए क्योंकि उसी दिन दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा।

चर्चा के उपरांत, उपर्युक्त परिवर्तन के साथ प्रथम वर्ष के स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के सेमेस्टर 1, 2025-26 का संशोधित सेमेस्टर कार्यक्रम **(परिशिष्ट 2)** अनुमोदित किया गया।

प्रथम वर्ष के स्नातक पूर्व छात्रों के लिए 7-दिवसीय इंडक्शन अवधि की कार्यसूची का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया। सीनेट ने निर्णय लिया कि इस संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक इकाई से सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाएगा।

मद संख्या 4: स्नातक पूर्व विद्यार्थियों के लिए (क) जीवन कौशल (लाइफ स्किल्स) तथा (ख) भाषा ज्ञान योजना (लैंग्वेज लर्निंग प्लान) पर विचार करना।

क) जीवन कौशल

सीनेट ने जीवन कौशलपाठ्यक्रमों पर विचार किया। विस्तृत चर्चा के उपरांत सीनेट ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया:

पाठ्यक्रम शीर्षक	पाठ्यक्रम संख्या
लाइफ स्किल्स 1	डीएएन1100
लाइफ स्किल्स 2	डीएएन1101

ख) स्नातक पूर्व विद्यार्थियों हेतु भाषा ज्ञान योजना (लैंग्वेज लर्निंग प्लान)

सीनेट ने लैंग्वेज मॉड्यूल्स (इंटेंसिव और नॉन-इंटेंसिव) पर विचार किया। विस्तृत चर्चा के उपरांत सीनेट ने निम्नलिखित लैंग्वेज मोड्यूल्स और उनकी कार्यान्वयन योजना को अनुमोदित किया:

पाठ्यक्रम शीर्षक	पाठ्यक्रम संख्या
इंटेंसिव	
एसेंशियल इंग्लिश	DAN1001
स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज	DAN1002
राइटिंग एंड एडिटिंग [बेसिक]	DAN1003
स्पीकिंग इन इंग्लिश	DAN1004
सोशल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन	DAN1005
नॉन-इंटेंसिव	
एडवांस्ड राइटिंग एंड एडिटिंग	DAN1006
लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर	DAN1007
हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज	DAN1008
कन्वर्सेशनल एटिकेट	DAN1010
विजुअल लैंग्वेज	DAN1011
रीडिंग स्टेम लिटरेचर	DAN1012
रीडिंग स्ट्रेटेजीज़ [एडवांस्ड]	DAN1013

सीनेट ने संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक तथा यू.जी.सी.आई.सी. को पाठ्यक्रम टेम्पलेट्स में मामूली परिवर्तन, यदि कोई है, को अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया।

<u>मद संख्या 5: सीएस-1, सीएस-5 तथा एमसीएस कार्यक्रमों के कार्यक्रम टेम्पलेट्स में मामूली परिवर्तन</u>

सीनेट को सूचित किया गया कि कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग द्वारा सीएस-1, सीएस-5 तथा एमसीएस कार्यक्रमों के कार्यक्रम टेम्पलेट्स में कुछ मामूली परिवर्तनों का अनुरोध किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

1. सी.एस.-1 कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए:

क) डिस्क्रीट मैथेमैटिक्स (सीओएल1002, 3-1-0) में 1 ट्यूटोरियल क्रेडिट तथा डिज़ाइन प्रैक्टिसेज़ (सी.ओ.एल.2090, 1-0-6) में 1 लेक्चर क्रेडिट की वृद्धि के कारण डिपार्टमेंट फाउंडेशन कोर (डी.एफ.सी.) में क्रेडिट की संख्या 34 से बढ़ाकर 36 करना।
ख) सब-डिसिप्लिन ट्रैक (एस.डी.टी.) के क्रेडिट 19 से घटाकर 18 करना।
ग) डिपार्टमेंट इलेक्टिव (डी.ई.) के क्रेडिट 14 से घटाकर 13 करना।
घ) "विज़ुअल कंप्यूटिंग" विषयक एस.डी.टी. में कंप्यूटर विज़न (सी.ओ.एल.3680) को शामिल करना।
ङ) एस.डी.टी. के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम संख्याओं को सम्मिलित करना तथा कुछ पाठ्यक्रमों के नामों में मामूली परिवर्तन करना।
च) हालिया सीनेट अनुमोदन के अनुसार इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग (सी.ओ.एल.1000) को अद्यतित करना।

2. सी.एस.-5 कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए:

क) डिस्क्रीट मैथेमैटिक्स (सी.ओ.एल.1002, 3-1-0) में 1 ट्यूटोरियल क्रेडिट तथा डिज़ाइन प्रैक्टिसेज़ (सी.ओ.एल.2090, 1-0-6) में 1 लेक्चर क्रेडिट की वृद्धि के कारण डिपार्टमेंट फाउंडेशन कोर (डी.एफ.सी.) में क्रेडिट की संख्या 34 से बढ़ाकर 36 करना।
ख) सब-डिसिप्लिन ट्रैक (एस.डी.टी.) के क्रेडिट 19 से घटाकर 18 करना।
ग) डिपार्टमेंट इलेक्टिव (डी.ई.) के क्रेडिट 8 से घटाकर 7 करना।
घ) "विज़ुअल कंप्यूटिंग" विषयक एस.डी.टी. में कंप्यूटर विज़न (सी.ओ.एल.3680) को शामिल करना।
ङ) एस.डी.टी. के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम संख्याओं को सम्मिलित करना तथा कुछ पाठ्यक्रमों के नामों में मामूली परिवर्तन करना।
च) हालिया सीनेट अनुमोदन के अनुसार इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग (सी.ओ.एल.1000) को अपडेट करना।
छ) प्रोग्राम कोर (पी.सी.) से सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स (सी.ओ.एल.7001) को हटाना, जिससे पीसी से सभी नॉन-प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम हट जाएंगे।

3. एम.सी.एस. कार्यक्रम के कार्यक्रम टेम्पलेट में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए:

क) सेमेस्टर-वार योजना में सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स (सीओएल7001) को सेमेस्टर II से स्थानांतरित कर सेमेस्टर I में किया जाना।
ख) एक ओ.सी. पाठ्यक्रम को सेमेस्टर I से सेमेस्टर II में स्थानांतरित किया जाना।
ग) थीसिस ट्रैक के लिए मानदंड जोड़े जाना (7 से कम सी.जी.पी.ए. होने की स्थिति में डी.आर.सी. की स्वीकृति आवश्यक)।
घ) विभिन्न स्पेशलाइज़ेशन ट्रैक्स में प्रोग्राम इलेक्टिव्स को सम्मिलित किया जाना।

चर्चा के उपरांत, सीनेट ने सीएस1, सीएस5 तथा एमसीएस कार्यक्रमों के कार्यक्रम टेम्पलेट्स में उपर्युक्त परिवर्तनों को अनुमोदित किया।

विशेष सीनेट (कार्यवृत्त)
10.07.2025

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय

मद संख्या 6: अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेश

सीनेट को सूचित किया गया कि सीनेट बैठकों, पिछले अध्यादेशों के अनुमोदन के समय से मई 2025 माह के अंत में संपन्न सीनेट बैठकों, के दौरान लिए गए निर्णयों के आधार पर अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों को सीनेट और संकाय सदस्यों को टिप्पणी/ प्रतिक्रिया ले लिए भेजा गया। यह भी सूचित किया गया कि प्राप्त संबंधित/ प्रासंगिक टिप्पणियों को शामिल कर लिया गया है।

चर्चा के उपरांत, सीनेट ने अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति दी।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया।

अतुल व्यास
कुलसचिव

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज़ खास, नई दिल्ली – 110016

No. IITD/AREG/Spl Senate/2025/426779 दिनांक: 21.07.2025

कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि [विशेष बैठक दिनांक 10 जुलाई 2025], सीनेट के सभी सदस्यों की जानकारी और रिकॉर्ड हेतु भेजी जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी टिप्पणी/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, यथाशीघ्र भेजें।

यदि 28.07.2025तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि आप रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त को अनुमोदित करते हैं।

अतुल व्यास
कुलसचिव

प्रति:
सीनेट के सभी सदस्य / विशेष आमंत्रित